बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

के0प्रा0यो0 (शत प्रतिशत)

ज्ञापांक–पि0व0 / बजट–30–11 / 15–20 पटना, दिनांक– 22-2-16

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– बजट शीर्ष खण्ड–II–8000–आकस्मिकता निधि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹11977.83 लाख (रूपये एक अरब उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख तिरासी हजार) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति मद में कुल ₹11977.83 लाख (रूपये एक अरब उन्नीस करोड सतहत्तर लाख तिरासी हजार) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः सम्पूर्ण राशि ₹11977.83 लाख (रूपये एक अरब उन्नीस करोड सतहत्तर लाख तिरासी हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2– उक्त सम्पूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2015–16 में मॉग संख्या–11 के अन्तर्गत योजना बजट शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछडे वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0215–प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति–3401 छात्रवृत्ति /वजीफा विपत्र कोड–8000–P2225032770215 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सम्बन्धी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी राशि की नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जाएगा।

5– इस राशि की निकासी राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2014 दिनांक–21.08.15 में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एव नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय।

7– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8– प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– इस आशय की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22/2/2016

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

Letter of Princ.Secy(sanction order).(Harry)

ज्ञापांक–पि0व0 / बजट–30–11 / 15– 20 पटना, दिनांक– 22-2-16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / बजट–30–11 / 15– 20 पटना, दिनांक– 22-2-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / बजट–30–11 / 15– 20 पटना, दिनांक– 22-2-16

प्रतिलिपि– निदेशक (बी0सी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नौवां ब्लॉक, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / बजट–30–11 / 15– 20 पटना, दिनांक– 22-2-16

प्रतिलिपि– माननीय उप मुख्य (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/2016
सरकार के सचिव।